अल्पकालिन पुर्ननिविदा–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बक्सर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल–नेवारी) के दर/आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में **PR. NO. 1569(पशु) 2017–18** के द्वारा प्रकाशित हुई थी। निविदा में एक ही निविदादाता द्वारा निविदा दिया गया। अतः पुर्ननिविदा प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व प्रकाशित निविदा में आंशिक संशोधन करते हुए पुर्ननिविदा प्रकाशित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत मुहरबन्द दो लिफाफा में निविदा जमा करना होगा, जिसमें एक लिफाफा में वित्तीय एवं दूसरे लिफाफा में तकनिकी निविदा रहेगा। दानों लिफाफा एक बड़ा लिफाफा में बन्द होगा। तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से **10वें (दसवें)** दिन संध्या 05:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थित में भी प्राप्त निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जायेगा एवं भुगतान भी उन्ही के स्तर से किया जायेगा।

1. निविदा के साथ 10000.00 (दस हजार) रूपये मात्र अग्रधन के रूप में कोषागार चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पास बुक या राष्ट्रीयकृत बचत प्रमाण–पत्र अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित कराकर या बैंक ड्राफ्ट (अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम के पक्ष में) जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में (जो पारदर्शी प्लास्टीक के थैले में मुहरबंद हो) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान तक पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
4. आपूर्ति की जाने वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् यथा शीघ्र पशु चारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।
7. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना पूर्व में दे देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. विगत 03 (तीन) वर्षो का आयकर रिर्टन, पैन कार्ड एवं सेल टैक्स प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को बिहार या बिहार के बाहर काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं निविदा के सारे शर्त मंजूर होने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
11. संस्था/फर्म या दूकान को निबंधन माहनिरीक्षक कार्यालय या उद्योग कार्यालय या श्रम अधीक्षक कार्यालय या कम्पनी एक्ट के अधीन में से किसी एक का होना अनिवार्य है।
12. जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा सूचना के लिए वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। विशेश जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, बक्सर से प्राप्त की जा सकती है।

5.6.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बक्सर।